

पंजीकरण पुस्तिका-2016

कार्यालय प्रयोग हेतु

**सामान्य पंजीकरण 2016 के अन्तर्गत
लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं
गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर
में दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग
के फ्लैट्स प्राप्त करने का**

सुनहरा अवसर



सर्वोत्तम प्रमाणित

**उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD**

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in

योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. सुल्तानपुर नगर के मध्य स्थित ।
2. भूकम्परोधी निर्माण ।
3. प्रदूषणमुक्त एवं हरियाली युक्त वातावरण ।
4. सुगम यातायात की सुविधा ।
5. पाइप द्वारा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवर की व्यवस्था सहित समस्त अवस्थापना सेवायें ।



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।



(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स तथा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफैक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

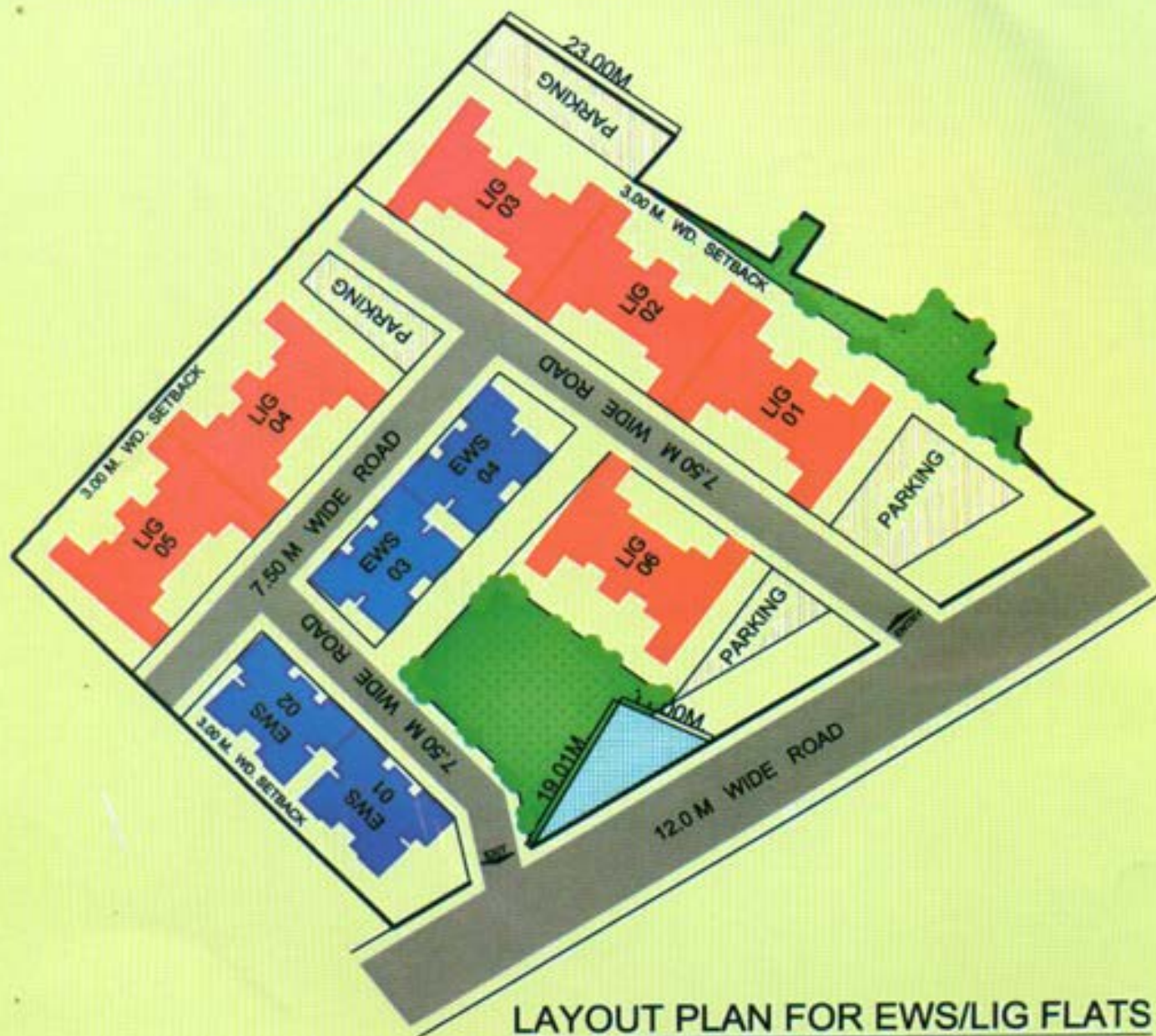
(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पाकों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

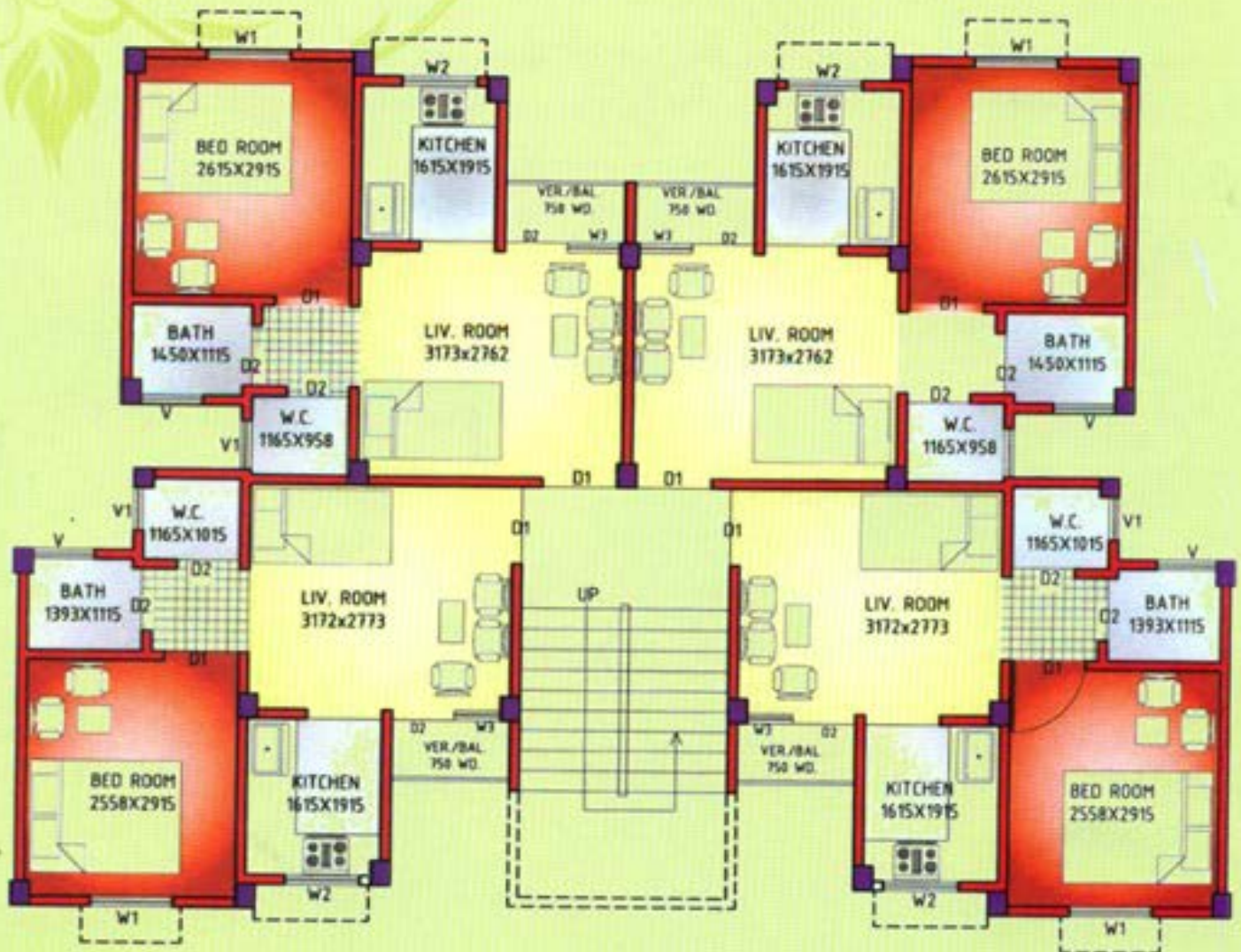
LAYOUT PLAN FOR EWS/LIG FLATS



LAYOUT PLAN FOR EWS/LIG FLATS

**LOHRAMAU BHOOMI VIKAS EVAM GRIHSTHAN YOJNA
SULTANPUR**

E.W.S. BLOCK



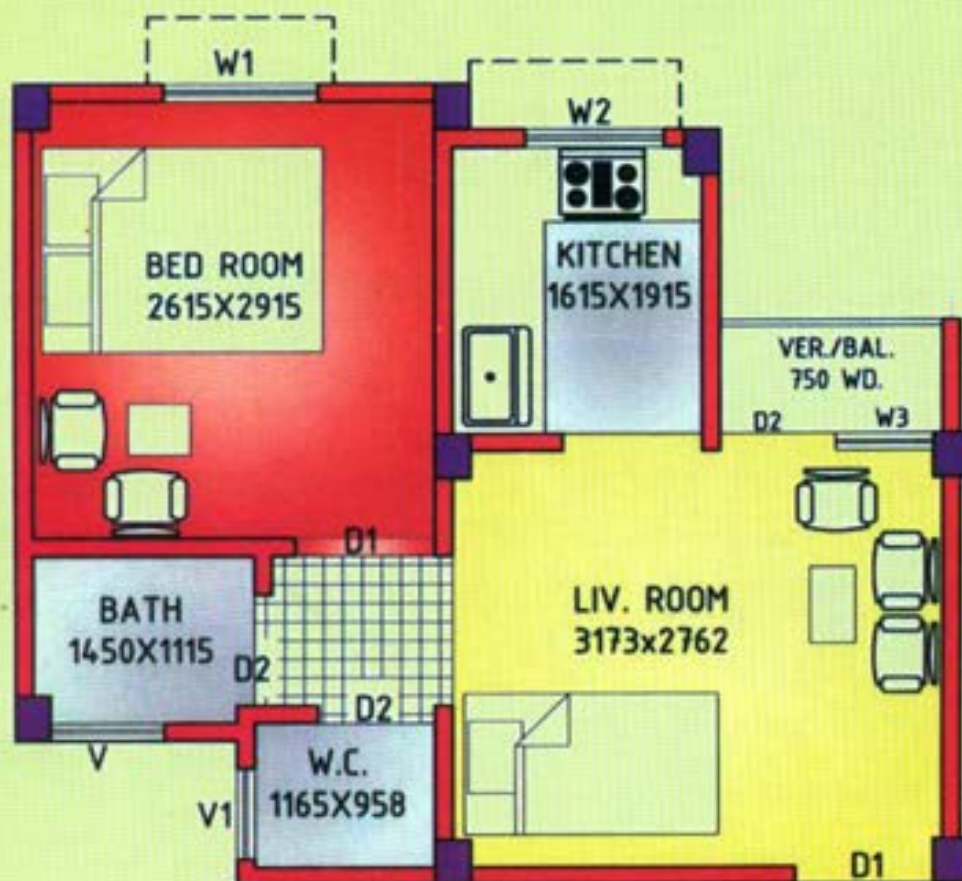
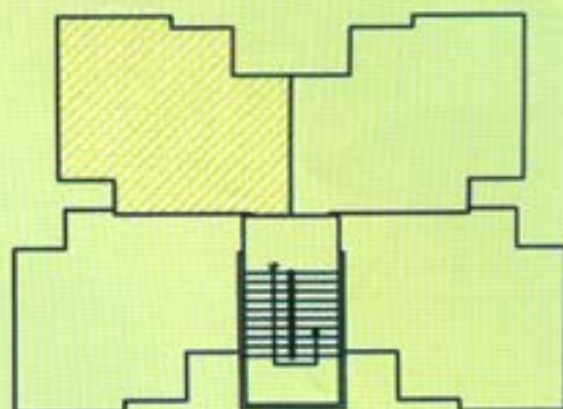
BLOCK PLAN

E.W.S. UNIT PLAN

1 LIV. ROOM, 1 BED ROOM, 1 KITCHEN, 1 W.C., 1 BATH,
VERANDAH/BALCONY

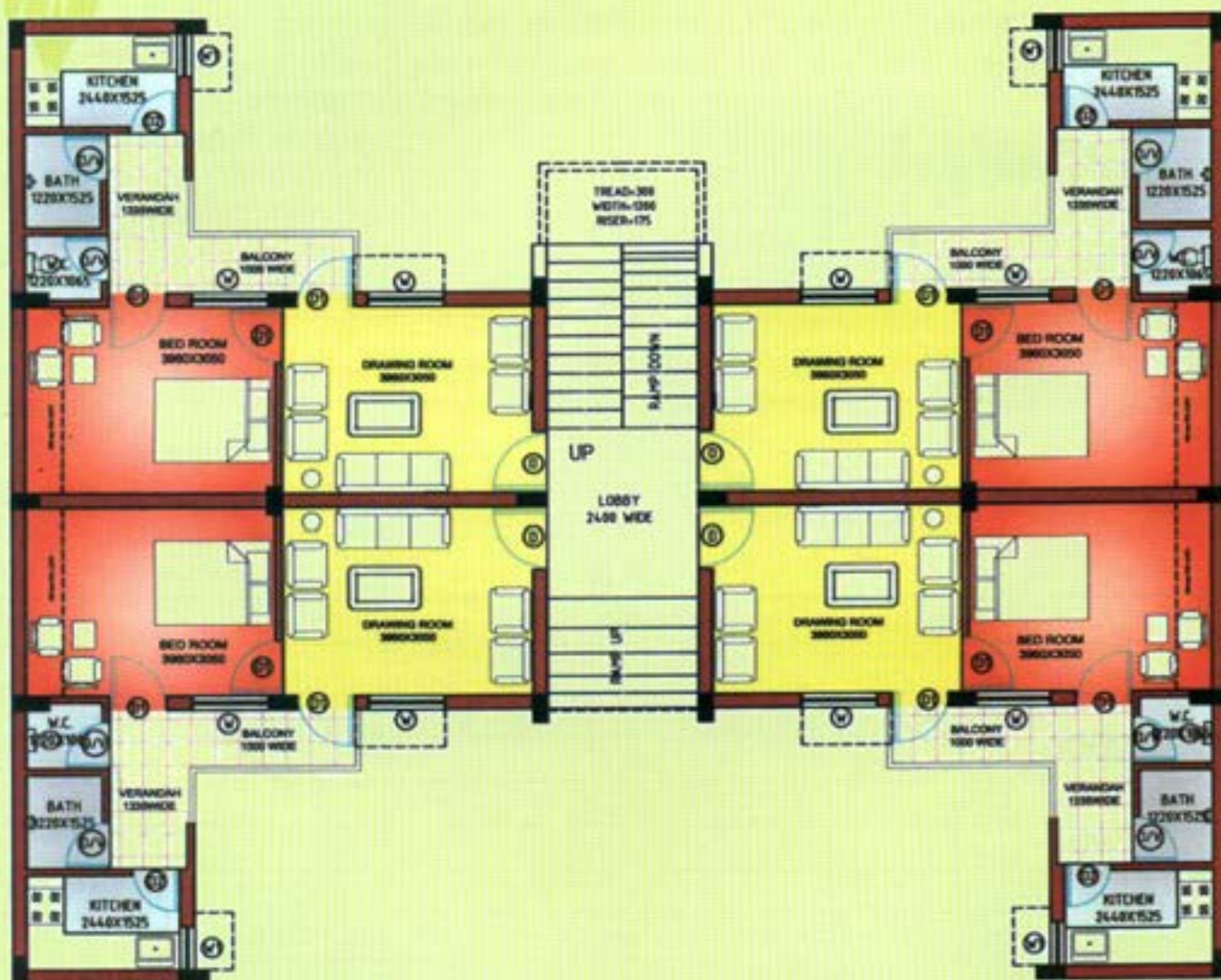
BUILTUP AREA 28.20 sq.m.

SUPER AREA 31.55 sq.m.



E.W.S. UNIT PLAN

L.I.G. BLOCK

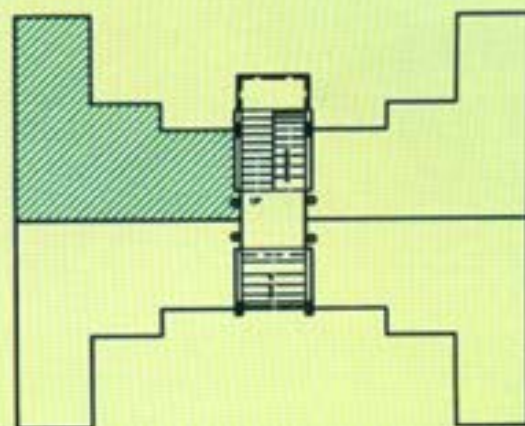


BLOCK PLAN

L.I.G. UNIT PLAN

1 DRG. ROOM, 1 BED ROOM, 1 KITCHEN, 1 W.C.,
1 BATH, VERANDAH/BALCONY

BUILTUP AREA 44.38 sq.m.
SUPER AREA 49.83 sq.m.



L.I.G. UNIT PLAN

E.W.S. FLATS



L.I.G. FLATS



परियोजना का विवरण

सुल्तानपुर शहर की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संचालित की गयी है। योजना में सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना में दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार (जी+3) प्रकार के भवनों हेतु आवासीय परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। परियोजना में 64 नग (जी+3) दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग (जी+3) प्रकार के 96 नग फ्लैट्स प्रस्तावित किये गये हैं। परियोजना का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	फ्लैटों का प्रकार	प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या	निर्मित क्षेत्र वर्ग मी.	सुपर एरिया वर्ग मी.	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण घनराशि (रु. में)	पंजीकरण घनराशि आरक्षित श्रेणी (रु. में)	किस्त की संख्या	प्रथम एक मुस्त घनराशि	मासिक किस्त की घनराशि
1.	लोहरामऊ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	दुर्बल आय वर्ग (जी+3)	64	28.20	31.55	9.65	50,000	25,000	180	1,05,550	9,050
2.	लोहरामऊ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	अल्प आय वर्ग (जी+3)	96	44.38	49.83	18.20	92,000	46,000	144	6,51,000	14,000

नोट :- दुर्बल आय वर्ग भवन के पंजीकरण हेतु आय सीमा रु. 1,00,000.00 वार्षिक तथा अल्प आय वर्ग भवन के पंजीकरण हेतु आय सीमा रु. 2,00,000.00 वार्षिक है।

E.W.S. फ्लैट्स (जी+3) में ड्राइंग कम लिविंग रूम 01 नग, बेडरूम 01 नग, किचन 01 नग, डब्लू.सी. 01 नग, बाथरूम 01 नग, वरान्डा/बालकनी 01 नग का प्राविधान प्रस्तावित है।

L.I.G. फ्लैट्स (जी+3) में ड्राइंग कम लिविंग रूम 01 नग, बेडरूम 01 नग, किचन 01 नग, टॉयलेट 01 नग, बाथरूम 01 नग, वरान्डा/बालकनी 02 नग का प्राविधान प्रस्तावित है।

फ्लैट्स की विशिष्टियां

उपरोक्त प्रकार के फ्लैट्स में निर्धारित की गयी मुख्य विशिष्टियों का विवरण –

स्ट्रक्चर	:	भूकम्परोधी निर्माण
फर्श	:	लिविंग, बेडरूम एवं किचिन में टाइल्स।
ट्वायलेट	:	फर्श पर एन्टी स्किड एवं दीवारों पर टाइल्स।
किचन	:	कुकिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ौदा ग्रीन एवं प्लेटफार्म के ऊपर टाइल्स तथा स्टेनलेस स्टील का सिंक।
चौखट	:	चौखट एम.एस. आयरन।
दरवाजे	:	फलस डोर शटर्स 30 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क।
खिड़कियां	:	एम.एस. आयरन / शटर्स एवं ग्रिल ग्लास सहित।
डोर फिटिंग्स	:	आई.एस.आई. मार्क ऑक्सीडाइज्ड आयरन डोर फिटिंग्स।
रंग-रोगन	:	अन्दर दीवारों तथा छत पर डिस्टैम्पर, बाहरी सतह पर एपैक्स/वैदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनेमेल पेन्ट।
जलापूर्ति	:	सभी फ्लैट हेतु छत पर पी.वी.सी. टैंक।
विद्युत	:	अग्निरोधक पी.वी.सी. कॉपर कन्सील्ड वायरिंग का प्राविधान।
स्टेयर केस	:	एम.एस. आयरन पाइप रेलिंग।

प्राविधान/शर्तें:

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित हैं। उक्त निर्माण 18 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा – भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने आदि पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

2. फ्लैट की टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
3. भूमि तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल के आवंटियों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- 3.2 सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है। अलग-अलग फ्लैटों का आवंटन लाटरी के माध्यम से होगा।
- 3.3 प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित फ्लैट्स की संख्या का नॉर्म्स के अनुसार ओपिन पार्किंग हेतु प्राविधान किया गया है।
- 3.4 प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
- 3.5 फ्लैट्स में भूमि मूल्य का विभाजन समस्त भूमि को फ्लैट्स के क्षेत्रफल के अनुपात में बाँटते हुए किया गया है। निर्मित क्षेत्रफल में अतिरिक्त अवशेष भूमि कॉमन सेवाओं के लिए है जिसकी लागत प्रत्येक तल में मूल्यांकन गाइड लाइन्स के अनुसार प्राविधानित की गयी है। उपरोक्त फ्लैट्स में कोई भी अतिरिक्त भूमि को विक्रय करने का प्राविधान नहीं है।
4. राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, लेबर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय के साथ-साथ एवं भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के फ्लैट्स हेतु आय सीमा का प्रतिबन्ध है।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका कय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लॉट्री ड्रॉ की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, तेलियरगंज, इलाहाबाद में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र/आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, तेलियरगंज, इलाहाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.7 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट आवंटित नहीं हो पाता है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

दुर्बल आय वर्ग के फ्लैट्स हेतु 15 वर्षों में 180 समान मासिक किश्तों में एवं अल्प आय वर्ग के फ्लैट्स हेतु 12 वर्ष में 144 समान मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा।

1. फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लॉटरी से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
2. मांग पत्र/आवंटन पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
4. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त/कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
5. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र/आवंटन पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद"/"UPAVP" के नाम जो सुल्तानपुर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम :

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रॉ में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लॉटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लॉटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लॉटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लॉटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटनी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, ऑफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तेलियरगंज, इलाहाबाद से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	तदैव—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	तदैव—
4	माओ विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध कराये।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर डेब मुल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, सिंग, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करके देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय अन्वय पर होगा। पंजीकरण आवेदन-पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोट :- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाट्री में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजोन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजोन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :-

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते में वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी ब्लॉक के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.8 फ्लैट्स का अन्तिम विक्रय मूल्य परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

**बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं के नाम व पते जहाँ से
पंजीकरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित प्राप्त करने
एवं जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।**

पंजीकरण 15 मार्च, 2016
से प्रारम्भ

पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने हेतु
अन्तिम तिथि 30 अप्रैल, 2016

क्रमांक	शाखा	पता	शाखा प्रबन्धक	दूरभाष नं.
1	लखनऊ (नोडल शाखा)	मोहनी मेन्शन, पो.बा. नं. 170, नवल किशोर रोड, लखनऊ	श्रीमती पुष्पा चौधरी	मो. : 9935419002 फोन : 0522-4082242
2.	इलाहाबाद	संगम प्लेस, प्रथम तल, 8/एच/1ए सिविल रोड सिविल लाइन्स, इलाहाबाद	श्री इजाज हुसैन	फोन : 0532-2561403
3.	सुल्तानपुर	इलाहाबाद रोड, निकट दरियापुर तिराहा, सुल्तानपुर	श्री पवन सिंह	फोन : 05362-226526
4.	मुसाफिरखाना	म.नं. 767, वार्ड नं. 7 सुल्तानपुर	श्री अमित कुमार सिंह	फोन : 05361-222144

नोट :

- * उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रु. 300/- देकर प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय में उपलब्ध होगी।
- * पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- 3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग में किसी एक को भरना होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
माओ विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :-

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पाँड, यू0एस0, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस् फ्रैंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :-

* विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा अधिगृहीत की गयी हों।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04

हारिजेन्टल आरक्षण कोड

विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O
विस्थापित	W

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरुष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW
भुगतान	कोड
नगद	01
किश्त	02

**योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के
अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।**

इं. एस.पी.एस. अग्रवाल
सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड-31
मो. : 8795810324

इं. के.पी. त्रिपाठी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-31
मो. : 8795810117

इं. बी.एन. दीक्षित
अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम वृत्त, आफिस
काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना
मो. : 8795810038

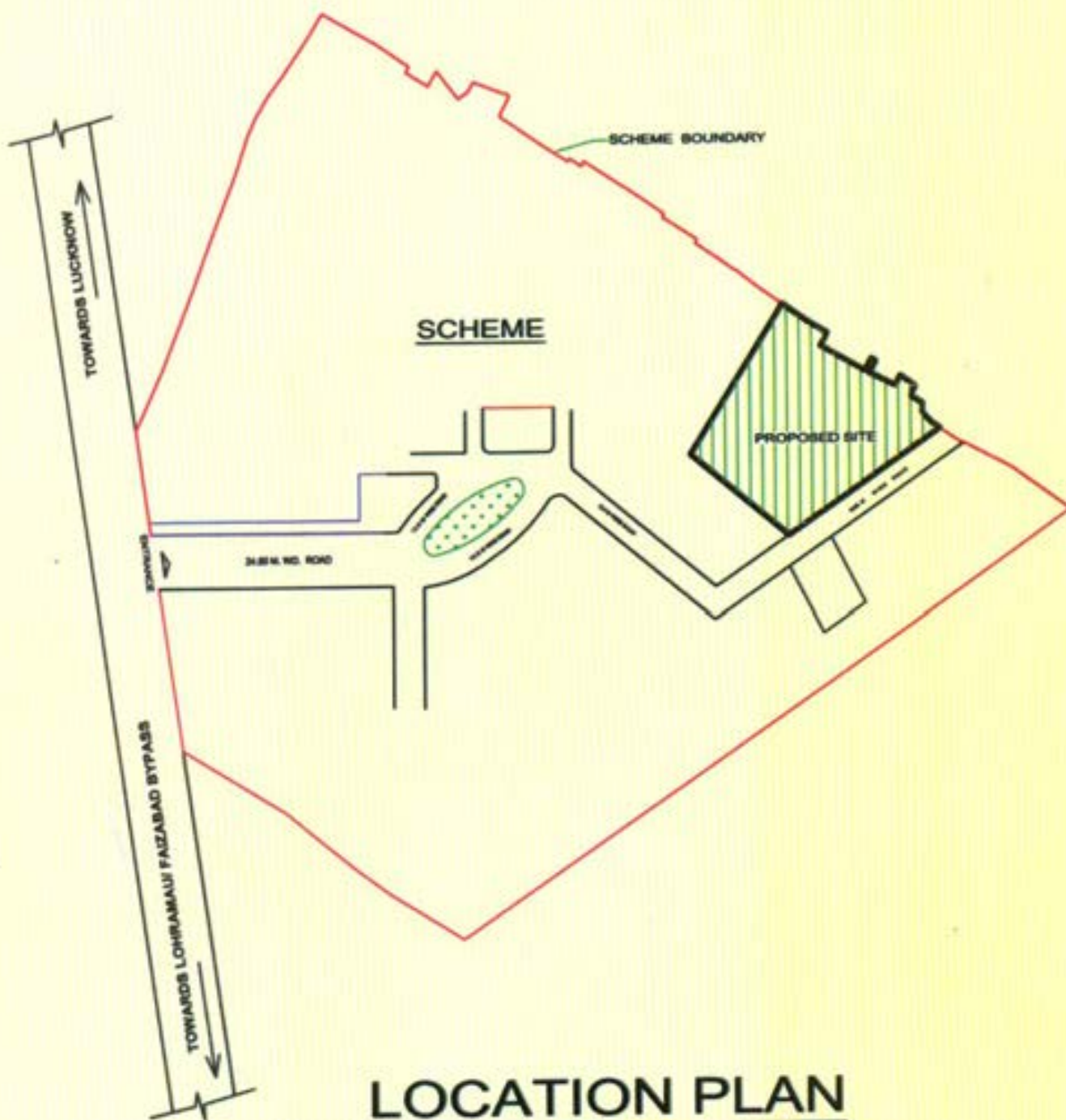
**योजना में पंजीकरण आवंटन एवं धनराशि वापसी से सम्बन्धित जानकारी
के लिए परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं**

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
सम्पत्ति प्रबन्धक
इलाहाबाद
मो. : 8795810704

श्री लक्ष्मण प्रसाद
उप आवास आयुक्त
वाराणसी जोन
मो. : 8795810015



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय



LOCATION PLAN

GROUP HOUSING (EWS/LIG FLATS) AT
LOHRAMAU YOJNA, SULTANPUR



परिषद ने ग्राहकों की
शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए
जन-सुविधा केन्द्र
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत
व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें :
1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे
से सांय 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

मूल्य : ₹ 286.00 + 14.00 (वैट) = ₹ 300/-



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <https://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in